आर.सी.एम.एस. नम्बर 2021/127

(आदेश 20 का नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–साधुराम जाट

(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणार्थ,एवं खाता विभाजन

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– 68/2021 (चान्दखां वगैरह बनाम आमीन खां वगैरह)

निर्णय दिनांक :– 12.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25.10.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2022/719 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 12.04.2022 को जारी की गई।

(साधुराम जाट)

उपखण्ड अधिकारी,

मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 68/2021

1. चांद खां पुत्र हासम खां
2. मजीद खां पुत्र हासम खां
3. हाकम अली खां पुत्र फिरोज खां
4. अदरीश खां पुत्र रज्जाक खां
5. हफीज खां पुत्र रज्जाक खां समस्त जातिगण कायमखानी निवासी फिरास का बास

— वादीगण

बनाम

1. आमीन खां उर्फ इमामुदीन खां पुत्र कुतुबुदीन खां
2. मुन्सी खां पुत्र लावदी खां
3. यासीन खां पुत्र इसु खां
4. बाबू खां पुत्र इसु खां
5. जाकिर हुसैन पुत्र इसु खां
6. हनीफ खां पुत्र रज्जाक खां
7. हसन बानों पत्नी इस्माईल खां
8. नूर बानों पत्नी याकूब अली समस्त जातिगण कायमखानी निवासी फिरास का बास
9. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धनूरी जरिये प्रबधंक, भााखा कार्यालय धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
10. बैंक ऑफ बडौदा जरिये प्रबधंक, भााखा कार्यालय पीरूसिंह सर्किल, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
11. बैंक ऑफ बडौदा जरिये प्रबधंक, भााखा कार्यालय गांधी चौक, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज)

प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

दावा बाबत धोशणार्थ एवं खाता विभाजन
अ.धा. 88, 53क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 25.10.2021

वादी द्वारा जरिये अभिभाषक वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम फिरास का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू में हाल खाता न. 53 के हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 2.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.55 हैक्टर तथा खाता संख्या 41 के खसरा नम्बर 141 रकबा 1.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 141/243 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 143 रकबा 1.98 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.81 हैक्टर तथा खाता संख्या 54 के खसरा नम्बर 144 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.94 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 1. 74 हैक्टर, 147 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 148 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 4.26 तथा खाता संख्या 58 खसरा नम्बर 158 रकबा 2.91

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

11. बैंक ऑफ बडौदा जरिये प्रबधंक, शाखा कार्यालय गांधी चौक, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

हैक्टर तथा खाता संख्या 9 रकबा 142 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 153 रकबा 4.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 153/244 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 155 रकबा 3.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 156 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 रकबा 3.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 160/244 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता कुल रकबा 13.57 हैक्टर भूमि अवस्थित है। यह कि महताब खां उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार था। उक्त महराब खां के चार पुत्र फरीद खां, जमरदी खां, लावदी खां व फिरोज खां हुये। महताब खां के फौत होने पर उपरोक्त वर्णित भूमि पर महताब खां के चारों पुत्र प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्से पर काबिज काश्त हुये। उसी के अनुसार उनके वारिस वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से में कब्जा काश्त के अनुसार काबिज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कब्जा काश्त संबंधी कोई विवाद नहीं है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूलवश या सहवन से वादीगण के दादा व पिता के हिस्से की भूमि राजस्व रिकार्ड में लावदी खां के पुत्र कुतुबुदीन खां व मुंशी खां तथा जमरदी खां के पुत्र युसुफ खां के नाम 1/4 – 1/4 हिस्सा भूमि से अधिक भूमि तथा फरीद खां के पुत्र हांसू खा व फिराज खां के पुत्र हाकम अली खां व रज्जाक खां के 1/4–1/4 हिस्सा भूमि से कम हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जबकि उक्त सभी मौके पर 1/4–1/4 हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है। कब्जा काश्त संबंधी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए उक्त राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुवे वादीगण 1 व 2 को अलग अलग 1/8–1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा वादी संख्या 3 को 1/8 हिस्सा भूमि का तथा वादीगण संख्या 4, 5 तथा प्रतिवादी संख्या 6 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अलग अलग 1/8–1/8 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को अलग अलग 1/12–1/12 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 3 यासीन खां ने अपने 1/12 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 7 हसन बानों 0.17 हैक्टर भूमि विक्रय कर दी तथा उक्त यासीन खां ने अपने 1/12 हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 8 नूर बानों को 0.17 हैक्टर भूमि विक्रय कर दी है। इस प्रकार यासीन खां ने अपने 1/12 हिस्सा भूमि में से 0.34 हैक्टर भूमि कर दी इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 यासीन खां को प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के हिस्से को शामिल करते हुये संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत बाजला में अयोजित कैम्प के दौरान वादी तथा प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमती से राजीनामा प्रस्तुत कर दावा राजीनामें के आधार पर डिक्री फरमाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत राजीनामे में कथन किया गया कि विवादित भूमि वाके ग्राम फिरास का बास हाल हाल खाता न. 53 के हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 2.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.55 हैक्टर तथा खाता संख्या 41 के खसरा नम्बर 141 रकबा 1.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 141/243 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 143 रकबा 1.98 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.81 हैक्टर तथा खाता संख्या 54 के खसरा नम्बर 144 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.94 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 1.74 हैक्टर, 147 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 148 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 4.26 तथा खाता संख्या 58 खसरा नम्बर 158 रकबा 2.91 हैक्टर तथा खाता संख्या 9 रकबा 142 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 153 रकबा 4.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 153/244 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 154 रकबा

0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 155 रकबा 3.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 156 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 रकबा 3.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 160/244 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 13.57 हैक्टर भूमि तथा खाता सख्या 4 के ख0न0 130 रकबा 0.85 है0 भूमि में से वादीगण 1, 2 व 3 चांद खां, मजिद खां व हाकम अली को अलग–अलग

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

हिस्सा 1/8–1/8 का खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जावे तथा वादी संख्या 4, 5 व प्रतिवादी संख्या 6 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पृथक–पृथक से 1/8–1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को अलग अलग 1/12–1/12 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 3 यासीन खां को प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के हिस्से को शामिल करते हुये संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जावे।

हमने राजीनामा पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं कैम्प के दौरान मजमे आम में उपस्थित मौतबिरान व्यक्तियों से पूछताछ की। राजीनामा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीकशुदा होने एवं लोक अदालत की पवित्र भावना के दृष्टिगत न्यायहित को ध्यान में रखते हुये वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर तदनुसार वाद निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः ग्राम फिरास का बास हाल खसरा नम्बर 139, 140, 141, 141/243, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 158, 142, 153, 153/244, 154, 155, 156, 159, 160, 160/244,एवं ख0न0 130 कुल किता 22 कुल रकबा भूमि में से वादीगण 1, 2 व 3 चांद खां, मजिद खां व हाकम अली को अलग–अलग हिस्सा 1/8–1/8, वादी संख्या 4, 5 व प्रतिवादी संख्या 6 को संयुक्त रूप से 1/8, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पृथक–पृथक से 1/8–1/8, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को अलग अलग 1/12–1/12 तथा प्रतिवादी संख्या 3 यासीन खां को प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के हिस्से को शामिल करते हुये संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। तहसीलदार मलसीसर को 1000/– रूपये की फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में उक्तानुसार मौके पर काबिज काश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

25/10/21

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर